जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
79/2016

13

अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2016 अनवानी श्री गोविन्द नारायण पु श्री विश्वनाथ किराड़ू, कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर बनाम उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर

09—01—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.03.16 के द्वारा उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर से चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं 250/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 31.03.16 से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे एवं शास्ति से दण्डित किया जावे व राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.03.16 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. मनोहर कंवर बेवा मदनसिंह राजपूत साकिन (श्रीकरनपुर) चक 7 डबल्यू मु0न0 38 किला न0 6 ता 25 कुल 20 बीघा की आवंटन पत्रावली कंवर सहित सुसंगत सुपाठय प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करवावें।
2. चक न0 7 डबल्यू के मुरब्बा न0 38 की सम्वत 2042 से 2045 व 2068 से 2072 तक की खसरा गिरदावरी /जमाबन्दी की छाया प्रतियां उपलब्ध करवावें।
3. चक न0 7 डबल्यू के मुरब्बा न0 38 का नक्शा मौका/लठठा ट्रेस की छाया प्रति उपलब्ध करवावें।
4. चक न0 7 डबल्यू के मुरब्बा न0 38 का नामान्तरणकरण संख्या 41 दिनांक 31.07.1984 की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करवावे।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र सं0 648 दिनांक 06.04.16 के द्वारा उपजिला कलक्टर श्रीकरनपुर को सूचनांए उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित किया गया।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 266 दिनांक 20.05.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 17.04.16 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 1984 से संबंधीत होने के कारण मूल आवंटन पत्रावली उनके कार्यालय रिकार्ड में तलाश की गई तो मूल आवंटन जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर में जमा होनी पाई गई। वहां से पत्रावली प्राप्त कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर उनके कार्यालय के पत्र सं0 263 दिनांक 20.05.16 से जरिये डाक अपीलार्थी को भिजवा दी गई है।

उपजिला कलक्टर श्रीकरनपुर ने पत्र सं0 263 दिनांक 20.05.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
79/2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा वांछित निम्न अभिलेख सूचना के अधिकार के तहत भिजवाये जा रहे है जो नियमानुसार हैः–
1– मनोहर कंवर बेवा मदन सिंह राजपूत को आवंटित चक 7 डबल्यू के मु0न0 38 के किला न0 6 ता 25 कुल 20 बीघा आवंटन पत्रावली की प्रतिलिपि।
2– चक 7 डबल्यू के मु0न0 38 सम्वत 2042 से 2045 व चालू जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 की प्रतिलिपि एवं खसरा गिरदावरी की प्रति।
3– चक 7 डबल्यू के मु0न0 38 का नक्शा मौका/ल्ठठा ट्रेस की प्रतिलिपि।
4– चक 7 डबल्यू के मु0न0 38 का नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 31.07.84 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र एवं उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र जिला कार्यालय से उनके कार्यालय में दिनांक 17.04.16 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु 1 की सूचना के संबंध में जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से रिकार्ड प्राप्त कर सूचना उपलब्ध करवाई गई है व शेष तीन बिन्दुओ की सूचना तहसील कार्यालय, श्रीकरनपुर से संबंधित है जो भी उनके द्वारा तहसील कार्यालय से संकलित कर अपीलार्थी को सूचना भिजवाई गई है जिसमें समय लगना स्वभाविक था फिर भी उपजिला कलक्टर श्रीकरनपुर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 17.04.16 से रिकार्ड व सूचना संकलित कर दिनांक 20.05.16 को अपीलार्थी को भिजवा दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है और अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का समय अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

148-49
18-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर